11वीं योजना के अंतर्गत (2007–2012) विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना/पदोन्नति उन्नयन संबंधी दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले विकासों के साथ गतिशील रहने के लिए, कई सामान्य एवं विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष 1970 से लेकर आज तक कंप्यूटर केंद्रों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता आ रहा है – जिन केंद्रों में कई गतिविधियाँ चल रही हैं – (अ) शोध कार्य एवं प्रशिक्षण (ब) और भी अन्य कई विषयों में कंप्यूटरों का अनुप्रयोग (स) और स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस.सी./एम.सी.ए. (कंप्यूटर विज्ञान) कार्यक्रमों और कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रश्न पत्रों के लिए इनका उपयोग हो रहा है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो अद्यतन विकास होता जा रहा है, उसे देखते हुए, मौजूदा कंप्यूटर केन्द्रों की भूमिका और उनके क्रियाकलापों में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव किया जाना तथा उनका विकासमूलक परिवर्तन आवश्यक है। ऐसे परिवर्तित कंप्यूटर केन्द्रों के पृथक संभावित प्रतिमान होंगे – जो प्रतिमान अपने गत इतिहास पर आधारित होंगे और अपनी तत्परता की स्थिति से युक्त होंगे ताकि ऐसे केंद्र आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वे तैयार रहें। इसी सब को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को संशोधित कर दिया है। अतः ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक कंप्यूटर केन्द्र स्वयं का विशिष्ट प्रस्ताव बनाएगा – जो प्रस्ताव नीचे दिए गए विस्तृत ढाँचे के अनुरूप होगा।

2. परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि एक कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया जाए जो कि एक केन्द्रित सुविधा के रूप में रहेगा और जिसमें सम्मिलित रहेंगे – (अ) अध्यापन, शोध तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों की अभिवृद्धि तथा विकास – (ब) इसके साथ ही प्रशासन, वित, परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश आदि विषयों में भी सुविधा प्रदान करना।

3. पात्रता और लक्ष्य

ऐसे समस्त विश्वविद्यालय और समविश्वविद्यालय जो कि आयोग के अधिनियम, 1956 के अधीन अनुभाग 2(एफ) तथा 12(बी) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं – वे सभी इस परियोजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं।

4. कंप्यूटर केन्द्र की गतिविधियाँ/प्रकार्य

- एक ऐसी केन्द्रभूत कंप्यूटर की सुविधा, जिसके साथ एक "नेटवर्क सर्वर" रहेगा जो समस्त छात्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए होगा।
- छात्रों के द्वारा संचालित शोध कार्य, उनके आँकड़ों के विश्लेषण में यथा संभव सहायता प्रस्तुत कराना तथा सुविधा को उपलब्ध कराना आदि।
- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा अपनी गतिविधियों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सहायता प्रदान करना।
- परिसर – क्रम के अनुरूप नेटवर्क को व्यवस्थित करना – जिसमें इंटरनेट और समवर्गीय सेवाएँ भी सम्मिलित रहेंगी–और ऐसे नेटवर्क को स्थापित करना, सहसंबंध बनाना तथा उसका प्रबन्धन करना।
- "नेटवर्क" के कार्य में एक सहसंबंध स्थापित करने वाले केन्द्र के रूप में कार्य करना जो दूसरे विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर केंद्रों के साथ नेटवर्क स्थापित करेगा जिसका लक्ष्य होगा विशेषज्ञता तथा सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान करना।
- ऐसे परामार्श कार्य/अनुबंधित कार्य का उत्तरदायित्व लेना – जो कार्य, भुगतानआधारित है और कंप्यूटर सुविधाओं के उपयोग अथवा सॉफ्टवेयर को विकसित करने के विषय में हैं – और विश्वविद्यालयों के नियमों/अध्यादेशों/विधानों के अनुसार कंप्यूटर केन्द्र सुविधाओं के रख–रखाव/उन्नयन के लिए आय को प्रजनित करना जिनका लक्ष्य है। ऐसे कार्य को, या तो स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है अथवा सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रों में मौजूद व्यवसायिओं के साथ मिलकर पूरा किया जा सकता है।
- कंप्यूटर से जुड़े लोहे के उपकरणों/"सॉफ्टवेयर" और इंटरनेट तकनीकियों के अद्यतन विकासों की खोज–खबर रखना और सूचना एकत्र करना–विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को जानकारी देना व सूचना प्राप्त करना–कर्मचारियों तथा छात्रों की सुविधा के लिए सूचना/आँकड़ों का मिलान करना और उसे एकत्र करना।
- सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करना।

कक्षा में अध्यापन कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को सह–संबंधित करना और उनमें सहायता पहुँचाना।

5. योजना के अंतर्गत उपलबध सहायता का स्वरूप

कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना

5.1 कंप्यूटर केन्द्र को स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता

- यदि किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का कोई केन्द्र नहीं है तो, वहाँ पर ऐसा कंप्यूटर केंद्र कम से कम 2–3 वर्ष के भीतर स्थापित होना चाहिए और इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

- सामान्य रूप से धन इन सबके लिए उपलब्ध होगा – परिसर "LAN", नेटवर्क अव्वयवों के लिए, "सर्वर्ज़", सामान्य "सॉफ्टवेयर", सामान्य पी.सी. प्रयोगशाला के लिए "पी.सी.", निर्धारित स्थल को तैयार करना आदि।

- समस्त प्रस्तावों के अंतर्गत – उनकी जरूरतों के अनुसार उनकी "वेब सैन्ट्रिक" पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रयोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाली सेवाओं की पहचान हो सकेगी – ताकि ऐसी सेवाओं को "इन्ट्रानेट", "एक्सट्रानेट" स्तर पर अथवा मुक्त एवं सार्वजनिक "वेबसाइट" के माध्यम से वेब आधारित सेवाओं के रूप में प्रदान किया जा सके। इन सेवाओं के प्राप्तकर्ता – चाहे वे छात्र हो अथवा प्रशासक या अध्यापक – इन सभी को सेवाएँ प्राप्त करने के लिए "स्टैन्डर्ड ब्राउज़र्ज" के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सामान्य तौर से जरूरत नहीं होनी चाहिए।

- कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना वाले प्रस्तावों के अंतर्गत आजकल की नवीन प्रवृत्तियों को लेकर, यह बात अच्छी तरह से अपने विचार में रखी जानी चाहिए कि वे कौन सी प्रवत्तियाँ हैं जैसे कि "ग्रिड कंप्यूटिंग", "वाई–फाई", "हाई–स्पीड इंटरनेट" (ब्राड बैन्ड) – मोबाइल उपकरणों के साथ संयोजन ओर "पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट्स", भारतीय भाषाओं में विभिन्न उत्पादों को विकसित करने के लिए "यूनी–कोड" आदि।

5.1.1 सहायता की उच्चतम राशि :
अनावर्ती : रु. 70.00 लाख

क्र. सं.	मदें	राशि (रु0 लाखों में)
1.	सर्वर	20.00
2.	डेस्कटॉप/पी0सी0, प्रिंटर आदि	17.00
3.	सॉफ़्टवेअर और संदर्भ सामग्री	15.00
4.	नेटवर्क उपस्कर	10.00
5.	पेरिफ़रल्स	3.00
6.	साइट को तैयार करना, जिसमें सम्मिलित हैं ए.सी., यू.पी.एस. आदि।	5.00
	योग	**70.00**

आवर्ती सहायता

(i) कंप्यूटर केन्द्र के लिए कर्मचारी

ऐसे कंप्यूटर केंद्र जो कि पहली बार स्थापित किए जा रहे हैं, उनके लिए एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारियों को या तो स्थायी आधार पर अथवा अनुबन्ध पर आधारित तौर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपलब्ध कराएगा। ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाएगा – वह सहायता कुल 3(तीन) वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाएगी – अवधि का प्रारम्भ उस वर्ष में माना जाएगा जिस वर्ष के दौरान यह तन्त्र स्थापित किया गया है अथवा उस वर्ष से जिस वर्ष में पहले पद की नियुक्ति की गई थी – इन दोनों में जो भी क्रिया सबसे बाद में हुई – उसी के हिसाब से वह तीन वर्ष की अवधि मानी जाएगी। सम्बद्ध अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक आश्वासन भेजेंगे कि तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय प्रबन्धन/राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि उन पदों को जारी रखा जाएगा और सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग को एक आश्वासन भेजना पड़ेगा।

पद का नाम और पदों की संख्या	वेतनमान / परिलब्धियाँ	अनिवार्य अर्हताएँ	अनुभव
निदेशक – एक	कोई अतिरिक्त परिलब्धियाँ नहीं। कंप्यूटर विज्ञान विभाग के वर्तमान अध्यक्ष / डीन का अतिरिक्त कार्यभार	लागू नहीं	लागू नहीं
तंत्र विश्लेषक – एक	रु0 12000–420–18300 के वेतनमान में नियुक्त किया जाए	एम. टेक. (कंप्यूटर विज्ञान) या प्रथम श्रेणी एम.सी.ए. प्रथम श्रेणी एम.एस.सी. (कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर सॉफ़्टवेअर)	तंत्र विश्लेषक के स्तर पर कंप्यूटिंग में पाँच वर्ष का अनुभव तंत्र विश्लेषक के स्तर पर कंप्यूटिंग में छह वर्ष का अनुभव
	या संविदा / प्रतिनियुक्ति के आधार पर, परंतु यदि संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए तो कुल परिलब्धियाँ रीडर के समतुल्य वेतनमान में आरंभिक वेतन से अधिक न हों। पद शिक्षकेतर है।	या कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर सॉफ़्टवेअर में मास्टर की डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई / बी. टेक. या एम.सी.ए.	या प्रमाणित योग्यता और उद्योग / व्यवसाय में 5 वर्ष के संबंधित अनुभव वाले प्रत्याशी
तकनीकी सहायक – एक	विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी / सहायक के पद के लिए निर्धारित वेतनमान में नियुक्त किया जाए	कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा के साथ बी. एस.सी.	––

	या संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर, परंतु यदि संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए तो कुल परिलब्धियाँ तकनीकी सहायक/सहायक के आरंभिक वेतन से अधिक न हों	या बी.सी.ए	
निजी सहायक – एक	विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे ही पद के लिए निर्धारित वेतनमान में नियुक्त कर लिया जाए या संविदा/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर, परंतु यदि संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए तो कुल परिलब्धियाँ आशुलिपिक/निजी सहायक के आरंभिक वेतन से अधिक न हों	जो विश्वविद्यालय द्वारा निजी सहायक के पद के लिए निर्धारित हों, किंतु शब्द संसाधन के ज्ञान के साथ।	

कंप्यूटर केंद्रों में जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना हे, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा, उनके पदों का कोटिकरण तथा उनकी प्रोन्नति संबंधी जो मार्ग हैं – ऐसे समस्त पदों को गैर–अध्यापन से जुड़े पदों की श्रेणी में कोटिकृत किया गया है और जिन कार्मिकों को कंप्यूटर केन्द्रों को नियुक्त किया जाना हे, उनकी सेवा निवृत्ति की आयु सीमा/प्रोन्नति से जुड़े विभिन्न मार्ग आदि–यह समस्त बातें विश्वविद्यालय की नीति/नियम एवं व्यवस्थापनों के अनुसार है।

अतिरिक्त कर्मचारी :

काम की अधिकता को देखते हुए, विश्वविद्यालय अनुबन्धात्मक आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। फिर भी इस बारे में कोई अतिरिक्त अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रशिक्षण तथा नवीन योग्यताओं को प्राप्त करना

नवीन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण की, और साथ ही जो योग्यताएँ विद्यमान हैं उनकी निरन्तर पदोन्नति की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार यह समस्त कार्य समय पर हाथ में लिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कुछ अन्य योजनाओं की सहायता से – जैसे शैक्षिक कर्मचारियों के महाविद्यालय "(Academic Staff Colleges)" "अंतर विश्वविद्यालय संघ/संकाय" सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

(ii) प्रबन्धन तथा उपभोज्य वस्तुएँ :

आश्वासन अवधि की समाप्ति के पश्चात्, कंप्यूटर प्रणाली का प्रबन्धन कराया जाता है। (जिस अवधि के दौरान, आपूर्ति करने वाले के द्वारा मुफ्त प्रबंधन उपलब्ध कराया जाता है।) फिर भी, प्रथम वर्ष के दौरान, उपभोज्य पदार्थों के लिए रु0 100000 लाख (रु0 एक लाख) का अनुदान उपलब्ध रहता है। बाद वाली अवधि के दौरान तथा योजना के अन्त तक–कंपयूटर के लोहे के उपकरणों और उपभोज्य पदार्थों के रख रखाव के लिए रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख) वार्षिक का अनुदान उपलबध कराया जाता है।

5.2 कंप्यूटर केन्द्र को और उन्नत बनाना

5.2.1 कंप्यूटर प्रणाली में होने वाले तीव्र परिवर्तनों, ऐसी प्रणाली का अस्तित्व में होना – और उसके अपक्षय की गतिशीलता – इन सब कारणों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय को उसके कंप्यूटर केन्द्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए–जो अनुदान दिया जा चुका है उसके बाद भी आयोग द्वारा दूसरा अनुदान, 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् ही दिया जाएगा। इसका कारण है, यह देखा जाना कि विश्वविद्यालय ने किस उद्देश्य से कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग किया है – इस तथ्य की रोशनी में विशेषज्ञ समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अनुरूप ही आयोग द्वारा सम्बद्ध कंप्यूटर केन्द्र के लौह उपकरणों को, उसके स्तर को और भी अधिक उन्नत करने के बारे में – उस विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए – विचार किया जाता है।

जिस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, कंप्यूटर केन्द्र की मौजूदा सुविधाओं के उपयोग का निर्धारण किया जाता है – तो उसके लिए निम्न बातों का होना जरूरी है:–

- प्रत्येक कार्य दिवस में कितने घण्टों तक काम हुआ (कंप्यूटर के प्रयोग पर) जैसा कि लॉग बुक में व्यक्त किया गया है।

- जो शोध पत्र निर्दिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और जिनके लिए कंप्यूटर सुविधा का उपयोग किया गया है, ऐसे शोध पत्रों की कुल संख्या क्या है? इसके साथ ही शोध कर्ताओं और शोध पत्रों की कुल कितनी संख्या है – पत्रिकाओं के नाम–और जिन पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हुआ है –उनकी कुल संख्या कितनी है – वह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है – आदि, यह समस्त सूचना भेजी जानी चाहिए और इसके साथ ही निम्न सूचना भी भेजी जानी चाहिए :–

- वार्षिक रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान जो भी कंप्यूटर पाठ्यक्रम थे उनका ब्यौरा, छात्रों एवं सकाय से जुड़े कार्मिकों का ब्यौरा, जो कार्मिक कंप्यूटर साक्षरता/जागरुकता पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में शामिल थे।

- प्राप्त किए गए, कुछ ऐसे नियत कार्य, जो कि परामर्श संबंधी अथवा अनुबन्धनात्मक थे – उनमें से प्रत्येक का, मुद्रा में क्या मूल्य था – और पिछले तीन वर्षों में वार्षिक रूप से उपयोग करने के लिए और इन कार्यों को केन्द्र में धारित करने के लिए और विश्वविद्यालय द्वारा जो राशि खर्च की गई है उसका ब्यौरा। पिछले पाँच वर्षों में कंप्यूटर केन्द्रों की कार्य संबंधी गतिविधि और उनकी वार्षिक रिपोर्ट।

- कंप्यूटर केन्द्रों को और भी उन्नत करने का जो काम है, वह उस केन्द्र के निष्पादन का निर्धारण करने पर ही निर्भर करेगा। ऐसे केन्द्र जिन्होंने 10वीं योजना तक पहले ही दो बाद आर्थिक सहायता प्राप्त कर ली है – ऐसे केन्द्र सहायता के पात्र नहीं होंगे।
  यदि आवश्यक समझा गया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारण के काम को पूरा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को कंप्यूटर केन्द्र का दौरा करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत – जो कार्य उस केन्द्र ने किया है, उसका मूल्यांकन करने का काम भी शामिल है।

5.2.2 कंप्यूटर केन्द्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए आर्थिक सहायता

(दूसरी बार दी गई सहायता)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से जो कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनको सक्रिय काम करते हुए 5 वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय हो चुका है – ऐसे केंद्रों से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को दूसरी बार सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

5.2.3 सहायता की उच्चतम सीमा

ऐसा कंप्यूटर केंद्र जिसके द्वारा प्रथम बार की सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात् 5 वर्ष से भी अधिक अवधि पूरी कर ली गई है, ऐसे केंद्रों के लिए सहायता राशि की उच्चतम सीमा निम्न रूप में होगी :–

अनावर्ती : राशि रु0 50.00 लाख (पचास लाख)

क्र. सं.	मद	राशि (रु. लाखों में)
1.	सर्वर	10.00
2.	डेस्कटॉप/पी.सी., प्रिंटर आदि	20.00
3.	सॉफ़्टवेअर और संदर्भ सामग्री	10.00
4.	नेटवर्क उपस्कर	5.00
5.	पैरिफ़ेरल्स	5.00
	योग	**50.00**

आवर्ती :

दो बार आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना के अंतर्गत आवर्ती अनुदान, अर्थात् कर्मचारियों आदि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

6. संसाधन निर्माणन

कंप्यूटर केन्द्र के लिए संसाधनों का निर्माण करने के लिए कंप्यूटरीकृत आधारभूत संरचना (सी.आई.) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता द्वारा कंप्यूटर केन्द्र बनाया गया है, ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श/अनुबन्धात्मक कार्य उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तथा भुगतान आधारित कंप्यूटरीकरण – इन दोनों बातों के लिए ऐसे प्रयास होने चाहिए। परन्तु यह समस्त कार्य, उस सभी अध्यादेशों/आदेशों/नियमों के भीतर किया जाना चाहिए जिनको विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए विहित किया गया है। कुछ आकस्मिक व्यय का भुगतान करने के लिए कंप्यूटर केंद्र को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न व्यक्तियों को जो भुगतान देय है, उस समस्त राशि को काटकर, इस प्रक्रिया द्वारा अर्जित आय में से, कम से कम पचास प्रतिशत राशि को कंप्यूटर केन्द्र के पास रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जिस समय हिसाब किताब का विवरण तथा प्रयोज्यता प्रमाण–पत्र आदि भेजे जाएँ तो उस समय उस राशि का हिसाब–किताब भी भेजा जाए –जो राशि आमदनी के रूप में, अनुबन्धात्मक/परामर्श कार्य के माध्यम से प्राप्त हुई है।

7. कंप्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रम (जागरुकता)

छात्रों/अध्यापकों/विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए यह आशा की जाती है कि प्रत्येक कंप्यूटर केंद्र –प्रतिवर्ष कम से कम पाँच कंप्यूटर साक्षरता (जागरुकता) पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा – जो पाठ्यक्रम न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि वाला होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रति पाठ्यक्रम की फीस वसूल की जाए वह फीस 500/– रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इस फीस का उपयोग प्रशिक्षुओं को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में और कंप्यूटर केन्द्र के रख रखाव के लिए किया जाना चाहिए।

8. पूर्व में दी गई स्वीकृतियों की वैधता :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कंप्यूटर केंद्रों के लिए पहले भी पृथक तौर से पदों की स्वीकृति दे चुका है। ऐसी स्वीकृतियाँ वैध मानी जाएँगी परन्तु जिन पदों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है –और जो अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं – ऐसे पदों को पूरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि वे पद इस संशोधित योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों द्वारा आवृत्त हैं। इसी प्रकार, पूर्व में स्वीकृत पदों में से, जो पद अब के बाद रिक्त हो जाते हैं – ऐसे पदों को पूरित करने की अनुमति नहीं होगी – बशर्ते कि वे संशोधित योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों द्वारा आवृत्त हों।

9. योजना के अंतर्गत आवेदन की विधि :

अगस्त/सितम्बर के महीनों के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पात्रता वाले विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमन्त्रित करेगा। जो भी प्रस्ताव विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे जाएँ इनमें इस बात का पूरा औचित्य रहना चाहिए कि प्रस्तावित कंप्यूटर केंद्र के निर्माणन के लिए और उसके लिए लोहे के उपकरणों, सॉफ्टवेयर और इनके अनुप्रयोग कितने आवश्यक हैं और इस के साथ इन सबकी सक्रियता पर बल देते हुए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि गत समय में संस्थान को जो लाभ इनसे प्राप्त हुआ है उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए और साथ ही यह भी कि और अधिक आधारभूत सामग्री द्वारा प्रयोगकर्ता को किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा।

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन की विधि

इस योजना के अंतर्गत जिन प्रकार्यों को स्पष्ट किया गया है उनके अनुसार विश्वविद्यालय को अपनी निजी आवश्यकता को निर्धारित करना होगा और कंप्यूटर केन्द्र प्राप्त करने/उन्नत करने के लिए आयोग के पास आर्थिक सहायता के लिए आवेदन भेजना होता है। इस आवेदन में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय में कंप्यूटर केन्द्र उपलब्ध कराने/उन्नत करने का क्या औचित्य है – जो भी भवन/संकाय उनके पास उपलब्ध है और इस योजना के अंतर्गत जो भी लोहे के उपकरणों की जरूरत है – आदि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे समस्त प्रस्तावों का परीक्षण प्रतिवर्ष एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अक्टूबर/नवम्बर के महीने तक किया जाएगा। एक अन्तरापृष्ठीय मीटिंग के लिए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। विश्वविद्यालय/कंप्यूटर केंद्र की जरूरतों को विशेषज्ञ समिति निर्धारित करेगी और साथ ही कंप्यूटर केंद्र की जरूरतों को भी यह समिति तय करेगी। लोहे के उपकरणों की आवश्यकताओं के विषय में विशेषज्ञ समिति उनमें संशोधन करने में समर्थ है–और समिति द्वारा इस आधार पर संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि से कहा जा सकता है।

11. निधियों को दिया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन प्रत्येक वर्ष में दिसम्बर/जनवरी तक भेजा जा सकता है और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों का सृजन किया जा सकता है और चयन प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जा सकता है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा जो प्रविधि, अनावर्ती मदों के क्रय के लिए अनुशंसित हुई है – इस प्रविधि का साथ साथ ही सूत्रपात किया जाना चाहिए।

11.1 अनावर्ती अनुदान

उपकरणों की खरीद के बारे में निणर्य लेने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा अनावर्ती अनुदान के लिए प्रयास करना चाहिए। इस सूचना के प्राप्त हो जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल अनुमोदित राशि का 80 प्रतिशत दे देता है और शेष 20 प्रतिशत राशि, विश्वविद्यालय से यह रिपोर्ट मिलने के बाद दी जाती है – कि कंप्यूटर प्रणाली स्थापित हो गई है और यह संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित है। इसी प्रकार जैसे ही पदों का सृजन हो जाता है/पद भरे जाते हैं – उसी के साथ साथ इन सब के पूरा होने के साक्ष्य के साथ विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों के वेतन के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने का प्रयास करना होता है। फिर भी, आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान, केवल उस स्थिति में प्रदान किया जाएगा – यदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की एक सहमति हो, कि 11वीं योजना काल तक मिले आवर्ती अनुदानों का लाभ उठाने के पश्चात् – उनके द्वारा आवर्ती व्यय का दायित्व उठाया जाएगा – ऐसी सहमति आने पर ही अनुदान दिया जाएगा।

कंप्यूटर केंद्र के लिए, आयोग का अनुमोदन – इसे प्रेषित करने की तिथि के बाद 12 महीनों तक वैध माना जाएगा। यदि कंप्यूटर प्रणाली के लिए कोई मंगवाने का आदेश नहीं दिया गया है और इस अवधि के दौरान इन पदों का सृजन नहीं हुआ – तो उस स्थिति में आयोग का अनुमोदन रद्द माना जाएगा – तथा जो भी विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र को स्थापित/अधिक उन्नत करने का इच्छुक है, उसे आयोग द्वारा दिए गए अनुमोदन को पुनः वैध करवाना पड़ेगा।

11.2 आवर्ती अनुदान

कंप्यूटर के स्थापित होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, आयोग द्वारा प्रथम वर्ष के लिए अग्रिम रूप से आवर्ती अनुदान स्वीकृत किया जाता है। बाद के समय में आवर्ती अनुदान केवल उसी स्थिति में दिया जाता है – जबकि पहले दिए गए अनुदान का व्यय संबंधी ब्यौरा और उस व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र का – यह दस्तावेज यदि आयोग को भेजे गए हैं। किसी भी वर्ष के लिए आवर्ती अनुदान की दावेदारी अधिक से अधिक, अनुवर्ती वर्ष में पेश की जानी चाहिए – क्योंकि उसके बाद वह अनुदान रद्द हो जाता है और उसे पुनः चालू नहीं किया जा सकता है।

12. पर्यवेक्षण और प्रगति विवरण

विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर केन्द्र की प्रगति रिपोर्ट को दो बार भेजा जाना होता है – एक तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में और दूसरी उस समय जबकि इस योजना के लिए

आयोग द्वारा दी गई अनुदान की राशि किए गए व्यय और उसका उपयोगित प्रमाण पत्र भेजे जाने के पश्चात्।

12.1 पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन समिति

कंप्यूटर केंद्र द्वारा जिन प्रकार्यों को हाथ में लिया गया है उन प्रकार्यों की प्रगति की रिपोर्ट विहित प्रोफार्मा में भेजी जानी चाहिए। कंप्यूटर केंद्र द्वारा की गई प्रगति और विभिन्न क्रियाकलापों का पुनरीक्षण करने के लिए आयोग एक विशेषज्ञ समिति को गठित करेगा।

कंप्यूटर केंद्र द्वारा जो भी प्रगति की गई है – उसको देखने के लिए यह समिति उस विश्वविद्यालय का दौरा कर सकती है।

समिति द्वारा जो रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाएगी उस रिपोर्ट के अंतर्गत निम्न सम्मिलित होगा :–

- कंप्यूटर केंद्र के क्रियाकलापों की विशिष्टता उजागर करना।
- केंद्र की उपलब्धियाँ और उसके दोष को स्पष्ट करना।
- जिन सुविधाओं का सृजन हुआ है उनको स्पष्ट करना।
- जो उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- कर्मचारी जिनको नियुक्त किया गया (उनकी नियुक्ति का स्वरूप)।
- जिस उद्देश्य के लिए निधि प्रदान हुई – उसकी प्रयोज्यता का वर्णन।

कंप्यूटर केंद्र के निर्बाध रूप से क्रियाशील बने रहने के लिए; समिति द्वारा किन्हीं विशेष बिन्दु को अथवा उनके मत को विशिष्ट रूप से प्रकट करना।

आयोग की सूचनार्थ, विशेषज्ञ समिति एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।